

ज्ञापक 605 / सू0अ0को0

174/17

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, राँची।

राँची, दिनांक:- 29/8/17

सेवा में,

श्री सुशील कसबसपती, सह शां. प्र.,  
जिला-राँची। शां. प्र. / औ. टी. प्र.

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के तहत आवेदक श्री सुशील कसबसपती, 6th Floor JMD Regent Square M. U. Road गुडगाँव से प्राप्त आवेदन पत्र की छाया प्रति साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। आवेदक से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (3) के अन्तर्गत आंतरित किया जाता है। सूचना शुल्क के रूप में 10/रु0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर इस कार्यालय को प्राप्त है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि मांगी गयी वांछित सूचना तीन दिनों के अन्दर आवेदक को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना अधिकार कोषांग, राँची में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु0:- यथोपरि।

28.08.17

वरीय पुलिस अधीक्षक  
राँची।

प्रतिलिपि:- श्री सुशील कसबसपती, बहाडुरा रण कौन्टेन्ट एण्ड सर्विसेस  
जैड. कं. एन. बी. 0-6, डी. एम. 0-9 जै. एच. 0-6 फ्लोर जै. एम. 0. डी.  
रिजेंट स्क्वायर एम. 0. जी. 0 रोड गुडगाँव की सूचनाार्थ।

28.08.17

वरीय पुलिस अधीक्षक  
राँची।

11/11/11

श्री गुरुदेव की आज्ञा से  
श्री गुरुदेव की आज्ञा से

श्री गुरुदेव की आज्ञा से  
श्री गुरुदेव की आज्ञा से

11/11/11

श्री गुरुदेव की आज्ञा से  
श्री गुरुदेव की आज्ञा से

11/11/11